छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24/03/2017

क्रमांक एफ 7–7/2001/10–2,

प्रति,

संयुक्त सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
नई दिल्ली

विषय :– छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में संशोधन बाबत् ।

——00——

निर्देशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा काष्ठ परिवहन नियमों में शिथिलता (Liberalized the transit regulation for transport of timber) संबंधी निर्देश जारी किये जाने हेतु "**छत्तीसगढ़ राज्य अभिवहन (वनोपज) नियम 2001**" में संशोधन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग एवं विधि विभाग से सहमति प्राप्त कर ली गयी है। अब मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण में शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मंत्रि–परिषद से अनुमोदन होने के पश्चात अधिसूचना जारी की जायेगी।

कृपया उक्त स्थिति से अवगत होना चाहेंगे ।

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

(✓)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांक/114/एफ–02/02/SMAF/2016/14–2 नया रायपुर दिनांक 10/02/17

प्रति,

श्री आर.बी. सिन्हा
संयुक्त सचिव (RFS)
भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कमरा नंबर 242-A कृषि भवन
नई दिल्ली 110 114

विषय :– Sub-Mission on Agroforestry (SMAF) under NMSA अंतर्गत वर्ष 2017–18 राज्य को एलोकेशन दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का पत्र क्रमांक 7-5/2016-CC दिनांक 06.10.16

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के तहत वर्ष 2016–17 से क्रियान्वित नवीन योजना Sub-Mission on Agro Forestry (SMAF) की ऑपरेशनल गाईड लाईन उपलब्ध कराई गई है।

2. गाईडलाईन के बिन्दु 7.3 के अनुसार योजना क्रियान्वयन की पात्रता केवल उन्हीं राज्यों को होगी जहां में काष्ठ के परिवहन हेतु नियमो में शिथिलता (liberalized the transit regulation for transport of timber) प्रदान की गई हो।

3. तत्संबंध में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 संशोधित नियम 2004, 2011 एवं 2013 प्रचलित है जिसमें नियम 4 (ख) (1) में अभिवहन पास से मुक्त प्रजातियों के काष्ठ की सूची एवं नियम 4 (ख) (2) में भूमि स्वामियों से प्राप्त काष्ठ के लिये ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित प्रजातियों के काष्ठ की सूची दर्शायी गई गई है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(i) निम्नांकित प्रजाति के काष्ठ तथा ईधन के परिवहन के लिये अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी :–

प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन	छ.ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना
1. कैसूरिना 2. सूबबूल 3. पापलर 4. इजरायली बबूल 5. विलायती बबूल	25.08.2001
6. मेन्जियम	27.08.2004
7. बबूल	05.12.2013
8. नीलगिरी	

14/2
AS FO (CC)
15/2/17
JS (NRM/RFS) on tour
AD/CC(RFS)

D:\Anu\Year 2015-16\NMSA\Sub Mission on Agroforestry\letter.doc

(ii) प्राइवेट भूमि (भूमि स्वामी) में पाये गये वृक्षो से अभिप्राप्त काष्ठ तथा ईंधन के जिले के अंदर परिवहन के लिये अभिवहन पास जारी किये जाने हेतु अधिकार ग्राम पंचायत को प्रत्योजित किये गये है :–

प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन	छ.ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना
1. लोप	27.08.2004
2. सिरिस 3. नीम 4. बेर 5. पलास 6. जामुन 7. रिमझा	25.08.2001
8. दस वर्षो से अधिक अवधि के वृक्षारोपण से प्राप्त नीलगिरी विलोपित	27.08.2004 05.12.2013
9. बांस 07 जिलो में सरगुजा, जशपुर, जाँजगीर–चांपा, कोरबा, धमतरी, कवर्धा, महासमुन्द	12.05.2011

4. उक्त नियमो के संबंध में वन विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देश की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी Sub-Mission on Agro Forestry (SMAF) के कियान्वयन की पात्रता है।

5. अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए प्रदेश में वर्ष 2017–18 से Sub-Mission on Agroforestry (SMAF) के कियान्वयन हेतु एलोकेशन की सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि एलोकेशन के अनुरुप वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 तैयार कर स्वीकृति प्रेषित की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(के.सी. पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क. 1115 /एफ–02/02/SMAF/2016/14–2 नया रायपुर दिनांक 10/02/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन
3. सचिव, छ.ग. शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
4. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(452)

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7 –7 / 2001 / 10–2

रायपुर, दिनांक 18/10/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
एवं कृषि उत्पादन आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय :– Operational Guideline of Sub-Mission on Agro Forestry (SMAF) पर अभिमत बाबत् ।

संदर्भ :– आपकी टीप जावक क्रमांक 12804 दिनांक 14.09.2016 ।

——00——

कृपया उपरोक्तानुसार विषयांकित एवं संदर्भित टीप का अवलोकन करने का कष्ट करेगें। वन विभाग द्वारा काष्ठ परिवहन नियमों में शिथिलता हेतु जारी निर्देशों की छायाप्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। (452 to 453)

18/10/2016

(श्रीधर नायडू)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

o/c 18/10/16

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(शाखा-उत्पादन)

फैक्स नं-0771-2552216 ccf_production@rediffmail.com

(452)

क्रमांक/14/उत्पा.1/31/ 1702 रायपुर, दिनांक 30/09/2016

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

2932
04-10-2016

विषय :- छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 के अंतर्गत नीलगिरी प्रजाति की काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र से मुक्त रखने के लिए नियम-4 में संशोधन।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र./एफ 7-7/2001/10-2, दिनांक 23.09.2016 451/C

—:0:—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

विषयांतर्गत छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त से Operational Guideline of Sub-Mission on Agro Forestry (SMAF) पर प्राप्त टीप जावक क्रमांक 12804 दिनांक 14.09.2016 एवं संलग्न गाईड लाईन की छायाप्रति प्रेषित करते हुए वन विभाग द्वारा काष्ठ परिवहन नियमों में शिथिलता हेतु निर्देश जारी किये गये हो तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने तथा साथ ही गाईड लाईन का विस्तृत परीक्षण कर अभिमत भेजने लेख किया गया है।

काष्ठ परिवहन नियम के संबंध में छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 संशोधित नियम 2004, 2011 एवं 2013 प्रचलित है जिसमें नियम 4 (ख) (1) में अभिवहन पास से मुक्त प्रजातियों के काष्ठ की सूची एवं नियम 4 (ख) (2) में भूमि स्वामियों से प्राप्त काष्ठ के लिए ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित प्रजातियों के काष्ठ की सूची दर्शायी गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

(1) निम्नलिखित प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिये अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी-

प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन	छ.ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना
(एक) कैसूरिना (दो) सूबबूल (तीन) पापलर (चार) इजरायली बबूल (पांच) विलायती बबूल (छः) मेन्जियम	25 अगस्त, 2001
(सात) बबूल	स्थापित, 27 अक्टूबर, 2004
(आठ) नीलगिरी	स्थापित, 5 दिसम्बर, 2013

क्रमशः..........(2)

जावक क्र. 5217 ...स०/वन/20 दिनांक 01.10.16

US(R)

01 OCT 2016

3/10/16

4/10/16

प्राइवेट भूमि (भूमिस्वामी) में पाये गये वृक्षों से अभिप्राप्त काष्ठ तथा ईंधन के जिले के अंदर परिवहन के लिए अभिवहन पास जारी किये जाने हेतु अधिकार ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित किए गये है–

प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन	छ.ग. शासन द्वारा जारी अधिसूचना
(एक) लोप	बबूल, 27 अक्टूबर, 2004
(दो) सिरिस (तीन) नीम (चार) बेर (पांच) पलास (छः) जामुन (सात) रिमझा	25 अगस्त, 2001
(आठ) 10 वर्षों से अधिक अवधि के वृक्षारोपण से प्राप्त नीलगिरी	स्थापित, 27 अक्टूबर, 2004
(आठ) विलोपित	10 वर्षों से अधिक अवधि के वृक्षारोपण से प्राप्त नीलगिरी, 5 दिसम्बर, 2013
(नौ) बांस – 07 जिलों में – 1. सरगुजा, 2. जशपुर, 3. जांजगीर –चांपा, 4. कोरबा, 5. धमतरी, 6. कवर्धा एवं 7. महासमुंद	स्थापित, 12 सितम्बर, 2011

संदर्भित पत्र द्वारा संलग्न गाईड लाईन से सहमति व्यक्त की जाती है तथा छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर नीलगिरी एवं अन्य प्रजातियों के अभिवहन पास जारी करने के संबंध में उपरोक्तानुसार निर्देश जारी किये गये है कि छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

30.9.16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

(15) (482)

व्यय की पूर्व अदायगी
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त 2001—भाद्र 3, शक 1923

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/व.सं./2001.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—
   1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 है.
   2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा.
   3. ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषा :—
   इन नियमों में "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16).

3. पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन :—
   किसी भी वनोपज का, छत्तीसगढ़ राज्य में या उसके बाहर या उसके भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क, ख या ग में अभिवहन पास के बिना गमनागमन नहीं किया जाएगा. अभिवहन पास, किसी वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या ऐसा पास जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु कोई भी अभिवहन पास—

(क) किसी ऐसी वनोपज को, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ग्राम की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह पैदा हुई हो, राज्य सरकार द्वारा निमित्त दिए गए विशेषाधिकार या अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए हटाई जा रही है,

(ख) ऐसी वनोपज को, जिसे राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी जाए,

(ग) ऐसी वनोपज को, जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई धन संबंधी रसीद (मनी रिसीप्ट)/रैटेड पास/वनोपज पास/कार्टिंग चालान के अन्तर्गत आती हो,

(घ) लघु वनोपज को, वन से स्थानीय बाजार को या संग्रहण केन्द्र को या घरेलू उपभोग के लिए हटाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

4. पास जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति :— इन नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को अभिवहन पास जारी करने की शक्ति होगी—

(क) उस वनोपज के लिए, जो सरकार की हो, डिवीजनल फारेस्ट अधिकारी, सब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या कोई अन्य अधिकारी, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो.

(ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज के लिए, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या ऐसा कोई अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो डिविजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो या ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो—

(1) निम्नलिखित प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी :—

(एक) कैसूरिना	—	कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
(दो) सूबबूल	—	ल्यूसेनिया प्रजातियां
(तीन) पापलर	—	पाप्युलस प्रजातियां
(चार) इजरायली बबूल	—	एकेशियां टॉरटिलिस
(पांच) विलायती बबूल	—	प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा
(छः) मेन्जियम	—	अकेशियां मेन्जियम

(2) प्राइवेट भूमि (भूमिस्वामी) में पाये गये वृक्षों से अभिप्राप्त काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास नीचे अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा :—

(क) निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास, इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित "पंचायत स्तर समिति" (जिसमें कि सरपंच, वर्तमान सरपंच के पूर्ववर्ती, बीट गार्ड, पटवारी तथा वनसुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के अध्यक्ष सम्मिलित होंगे), की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा. (समिति की अनुशंसा पंचायत द्वारा संधारित पंजी में अभिलिखित की जायेगी) :—

(एक) बबूल	—	अकेशिया निलोटिका
(दो) सिरिस	—	अल्बीजिया प्रजातियां
(तीन) नीम	—	अजाडरक्टा इंडिका
(चार) बेर	—	जिजुफस प्रजातियां
(पांच) पलास	—	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(छः) जामुन	—	साइजेजियम कुमिनी
(सात) रिमझा	—	अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया

(ख) 4 (ख) (1) तथा 4 (ख) (2) (क) में उल्लिखित से भिन्न समस्त प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के लिए अभिवहन पास, पंचायत स्तर समिति की सिफारिश के अनुसार, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी [जो वनपाल (फारेस्टर) से अनिम्न श्रेणी का न हो], के द्वारा जारी किया जाएगा.

(ग) जिले के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिए-ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा. जिले से बाहर वनोपज का परिवहन करने के लिए अभिवहन पास, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा.

(घ) अभिवहन पास जारी करने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जाएगा.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2001

क्रमांक एफ 7-7/व.सं./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

Raipur, the 25th August 2001

NOTIFICATION

No. F 7-7/व.सं/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Sections 41 & 42 of Indian Forest Act, 1927, (No. XVI of 1927) the State Government hereby makes the following rules for regulating transit of forest produce namely :—

RULES

1. **Short-title extent and commencement :—**
(1) These rules shall be called the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) rules, 2001.
(2) They shall extend to the whole of Chhattisgarh.
(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Chhattisgarh Gazette.

2. **Definition :—**
In these rules "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927)

3. **Regulation of Transit of forest produce by means of passes :—**
No forest produce shall be moved into or out side the State or within the State of Chhattisgarh except in the manner as herein after provided without a transit pass in form A, B or C annexed to these rules. The Transit Pass will be issued by a Forest Officer or Gram Panchayat or a person duly authorised under these rules to issue such pass :

Provided that no transit pass shall be required for the removal—
(a) Of any forest produce which is being removed for bonafide domestic consumption by any person or in exercise of privilege granted in this behalf by the State Government or of a right recognised under the Act within the limits of a village in which it is produced.
(b) Of such forest produce as may be exempted by the State Government from the operation of these rules by notification in the official gazette.
(c) Of forest produce covered by Money receipts/Rated passes/Forest produce passes/Carting Challan issued by competent authority in accordance with the rules made in this behalf for the time being in force.
(d) Of minor forest produce from forests to the local market or to the collection centre or for bonafide domestic consumption.

4. Officers and person to issue passes :—
The following officers and persons shall have power to issue passes under these rules—
(A) For forest produce belonging to the Government, the Divisional Forest Officer, the Sub-divisional Forest Officer or any other officer authorised in this behalf in writing by the Divisional Forest Officer.
(B) For forest produce owned by any person, the Divisional Forest Officer or any officer or such other person authorised in writing by the Divisional Forest Officer or Gram Panchayat in whose jurisdiction the forest produce is found or grown.

No transit pass will be required to transport the timber and fuel of the following species—

(I)	Casuarina	-	Casuarina equisetifolia
(Ii)	Subabul	-	Leucenea Sps.
(Iii)	Poplar	-	Populus Sps.
(iv)	Israili Babul	-	Acacia tortilis
(v)	Vilayati Babul	-	Prosopis Juliflora
(vi)	Manzium	-	Acacia Manzium

2. To tansport the timber and fuel obtained from the trees found in private land (Bhumi Swami) the transit pass will be issued according to the procedure laid down below :—

(a) The transit pass, for transporting timber/fuel of following species, shall be issued by the Panchayat according to the recommendation of the "Panchayat Level Committee" (consisting of Sarpanch,.....immediate predecessor of present Sarpanch, Beat Guard, Patwari and Chairman of the Village Forest Committee/Forest Protection Committee.) duly constituted for this purpose Recommendation of the committee will be duly recorded in a register maintained by Panchayat.

(i)	Babul	-	Acacia nilotica
(ii)	Siris	-	Albizzia Sps.
(iii)	Neem	-	Azadrechta indica
(iv)	Ber	-	Zizyphus Sps.
(v)	Palas	-	Butea monospema
(vi)	Jamun	-	Syzygium cumini
(vii)	Reunjha	-	Acacia leucophloea

(b) Transist pass for timber/fuel of all the species other than those mentioned under 4(B)-1 and 4 (B) 2 (a), shall be issued by the forest officer, not below the rank of Forester, authorised by the Divisional Forest Officer, according to the recommendation of the Panchayat Level Committee.

(C) Gram Panchayat or the person authorised by it shall issue the transit pass for transporting the forest produce within the district. To transport the forest produce outside the district, transit pass shall be issued by the forest officer authorised by the Divisional Forest Officer.

(D) On submission of application, for issue of transit pass, alongwith relevent document and information, the transit pass shall be issued within 45 days of receipt of the application.

(E) Transport of privately owned timber under the Lok Vaniki Mission shall also be done according to the procedure prescribed above.

(F) Action for not issuing transit pass in stipulated time period will be taken against responsible officer/person by the competent authority.

5. **Rate of Fee for issue of transit pass :—**
The State Government or an officer authorised by the State Government from time to time shall fix rate of fee for issue of transit pass as per the provisions of rule 4.

6. **Contents of Transit Pass :—**
(1) Every transit pass issued under rule 3 shall specify—

(a) The name of the person to whom such pass is granted.
(b) The quantity and description of forest produce covered by it, in case of logs, a list along with measurement shall be enclosed with the transit pass.
(c) The places from and to which such forest produce is to be conveyed.
(d) The route by which such forests produce is to be conveyed.
(e) The period of time for which the pass is to be in force.
(f) The impression of the valid hammer mark.

(2) The transit pass shall be issued in forms A, B or C as annexed to these rules, as indicated below—
Form A- To be issued by Forest Officer or the person authorised in this regard.
Form B- To be issued by Gram Panchayat.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2004— कार्तिक 5, शक 1926

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ - 7-7/2001/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41, 42 तथा सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 4 के उपनियम (ख) के खण्ड (1) के अनुक्रमांक (छः) में "मन्जियम-अकेशिया मन्जियम" के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक "(सात)- बबूल (अकेशिया निलोटिका)" अन्तः स्थापित किया जाए.

2. नियम 4 के उपनियम (ख) के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अनुक्रमांक "(एक) बबूल (अकेशिया निलोटिका)" का लोप किया जाए.

3. नियम 4 के उपनियम (ख) के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अनुक्रमांक (सात) रिमझा-अकेशिया के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक "(आठ) 10 वर्षो से अधिक अवधि के वृक्षारोपण से प्राप्त नीलगिरी - युकेलिप्टस प्रजातियां" अन्तःस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक/3614/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/4034/एफ-04/01/2010/14-2, दिनांक 21-10-2010 द्वारा कई मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही संपन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी की गयी है.

राज्य शासन की राय है कि मण्डी अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है, मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे पूरा करने में समय लगना अवश्यंभावी है, जिसके कारण मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन लगभग आगामी 06 माह तक कराया जाना संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचनों को आगामी 06 माह की अवधि के लिये मुल्तवी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41, 42 सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 4 के उप-नियम (ख) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) के सरल क्रमांक (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक अन्तःस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"(नौ) वांस-07 जिलों में— (1) सरगुजा (2) जशपुर (3) जांजगीर-चांपा (4) कोरबा (5) धमतरी (6) कवर्धा एवं (7) महासमुंद."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

R.No.2909/2015/10-2

Government of Chhattisgarh
Department of Forests
Mahanadi Bhawan,
Mantralaya, Naya Raipur

From:-

M.N.Rajurkar
Under Secretary,

To,

The DIG of Forests (Forest Policy),
Govt. of India
MoEFCC
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bag Road, Ali Ganj
New Delhi - 110003

Sub:- Guidelines for felling and Transit Regulations for Tree Species Grown on Non-Forest/Private Lands.

Ref:- 1. Your Memo. F No. 8-14/2004-FP (Vol.2) dated 18.11.2014
2. PCCF's, C.G.Raipur Memo No./231, dated 18.02.2015.

---0---

Kindly refer to the above mentioned subject & the Memo's regarding the implementation of Guidelines for felling and Transit Regulations for Tree Species Grown on Non-Forest/Private Lands. The Principal Chief Conservator of Forests has sent a detailed report vide Memo dated 18-02-2015 describing the measures adopted by the Government of Chhattisgarh in respect of the afforestation efforts, felling and Transit regulation for Tree Species grown on non forest/private lands.

The State Government hereby endorses the report of the Principal Chief Conservator of Forests of Chhattisgarh, communicated to the MoEFCC vide Memo no./231, dated 18.02.2015. (Copy annexed)

Enclosure: - As above.

(M.N.Rajurkar)
Under Secretary
Government of Chhattisgarh
Forest Department

30/11/15

SO, FP / TO, FP

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, CHHATTISGARH

Head Office - Aranya Bhawan, Medical College Road, Fafadih, Raipur-492001 (C.G.)
Phone: Office: 0771-2552221, Fax: 0771-2552210, E-mail: cgpccf@sify.com, Website: www.cgforest.com

(13)

231........ Raipur, Dated: 18.../.02./2015

पंजी क्र. 2992
दिनांक 15/9/

To,

The DIG of Forests (Forest Policy)
Govt. of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Ali Ganj

Subject - **Guidelines for felling and Transit Regulations for Tree Species Grown on Non-Forest Private Lands.**

Reference - Letter No. F.No.- 8-14/2004-FP(vol2) dated 18th November 2014

--00--

The recorded forest area of the Chhattisgarh State is **59772.4 square km** which accounts for **44%** of geographical area of the State. The forest cover of the State is placed at **56448 square km** according to the status of forest report **2013**. The state has **73464 square km** area under the category of Cultivable Non Forest Area **(CNFA)**, out of which **3535 square km** area has the average tree density per hectare is **8.8**, this further adds **2.6 percent** of the forest cover in notional terms to the geographical area of the State. About **50%** villages of the State that i.e **11185** villages are within the **05 km** radius of forest boundaries. These villages are mainly inhabitated by tribals who are economically backward and depend heavily on forests for their livelihood. Apart from this a large population of Non tribals and economically backward sections of the society is also dependent on forests for their livelihood and sustenance. The Forest of Chhattisgarh State are endowed with great biodiversity. These precious forests provide various **MFP** and other **Nistar** facilities to the villagers totaling worth about **2000 crore rupees.** Thus forest play a very Significant role in the overall development matrix of the State.

2. Farmers and other interested groups have been provided opportunities through three **Extension and Research (E&R)** Centers at **Raipur, Bilaspur, Jagdalpur and Van Vigyan Kendra** at Raipur to learn and adopt different **agrisilvicultural techniques** to ensure optimum utilization of their land and water resources. **Demonstration plots** have been developed in different **Agro-Climatic Zones** of the State. Training programmes are organized for imparting trainings to farmers at these centers.

3. Planting of trees along **side of roads, railway** lines, **rivers, streams, canals** and on other **unutilized lands** have been encouraged.

3.1 <u>River Bank Afforestation</u> - The State of Chhattisgarh is the catchment of **Mahanadi, Godavari and Ganga** river basins. About **16** main tributaries of these rivers are classified as the **perennial rivers** of the State. To conserve the river bank and to improve the water quality by developing vegetational shelter belt along the river, about **3400 hectare** river bank plantation has been carried out in last **03 years** under **Campa Funds.**

Oxy-van Plantation - To Control the air and noise pollution in major urban areas of the State, the oxy-van Plantations in about 615 hectare have been carried out. This high density plantation with Species yielding more oxygen such as pipal, bargad etc are raised with active participation of resident organization for the maintenance of these plantations under the Campa Fund.

3.3 Poudha Praday Yojna - This Yojna has been introduced to promote Agro Forestry in the State. Under this Scheme on paying rupees 01/- per plant up to maximum ceiling of 1000 plants are distributed to farmers. Every year about 30 lakhs plants are distributed by the forest Department to the Villagers to raise these plants on their fields.

3.4 Road Side Plantation - Under this scheme about 70 km road side plantation is carried out annually in Chhattisgarh State.

3.5 Gram Van Yojna - Under this scheme Plantation of mixed species in 1709 hectares Govt. fellow land of various Gram Panchayats have been carried out in last two years.

3.6 Hariyali Prasar Yojna - Main Features of the Scheme:

1-This scheme was introduced in the State of Chhattisgarh in the year 2005 aiming at the economic upliftment of the Villagers and promoting the agroforestry practices in the State.

2-This scheme also aims at, to meet the growing demand of timber, fuelwood and raw material for paper pulp etc, there by reducing the pressure on the traditional forest areas.

3-Under this scheme, 50 to maxium 5000 plants (per farmer) of desired species will be raised on the fallow lands of farmers by the Forest Department and those plants will be handed over to the farmer for the maintenance

4-In this scheme, the pits will be dug by the farmer himself.

5-The seedling will be planted in the already dug pits (by farmer) in the rainy reason and after 02 weedings, this plantation will be handed over to farmers for protection and future management.

6-For the management of these plants, grant of Rs. 01/- per plant/per year will be given to the farmer for two years (2nd and 3rd year of plantation.)

7-Under this scheme mainly plants of Khamhar, Bamboo, Teak, Aonla, Kathal, Eucalyptus, Albizziaspp, Munga ans Sissoo species will be planted.

8-The selection of the beneficieries will be done with the advice of gram panchayat and JFM Committees.

9-The maxiumum expenditure limit per plant for three years is fixed for various plant types is as under :-

S.N.	Type of Plant	Maxium expenditure limit for single plant for 3 Years
1	Ordinary Plant	Rs. 15/-
2	Clonal Plants	Rs. 17/-
3	Grafted Fruit Plants	Rs. 30/-

Details Plantation under Hariyali Prasar Schemes in Year 2013-14

Total No. of Clonal Plants Planted (in lakh)	Total No. of Ordinary Plants Planted (in lakh)	Total No. of Plant Planted (in lakh)	No. of Beneficieries
38.84	5	43.84	6423

Details of Beneficierywise Plantation under Hariyali Prasar Schemes in the Year 2014-15

Target Of Plantation (in lakh)				No. of Beneficieries	No. of Plants Planted till date (in lakh)
Ordinary Plant	Clonal Plant	Total Plant	Amount Spent (in lakh Rs.)		
4.67	92.67	97.34	1450.11	9307	98.17

Details of Plantation under Hariyali Prasar Schemes during 2010-11 to 2014-15

Name of Plan	Financial Year	Rainy Season	No. of Plant Planted (in lakh)	No. of Beneficieries
1	2	3	4	5
Hariyali Prasar Yojna (2533)	2010-11	2010	65.56	19414
	2011-12	2011	33.50	9985
	2012-13	2012	44.27	7542
	2013-14	2013	43.84	6421
	2014-15	2014	98.17	9307
	Total		285.34	52669

Note :- Under this scheme 4.43 Crore plants have been planted during last 10 Years.

4. Initiative of the Chhattisgarh State Government to promote Afforestation activities in Non forest Area -

4.1 - To encourage plantation on **private land holdings** the state Government of C.G. has issued the **C.G. Transit (Forest Produce) Rules 2001** and its various amendments to **simplify the transit of timber felled in Non forest areas.**

4.1.1 - **No felling permission is** required in the **commercial plantations raised** on the **private lands.**

4.1.2 - Following tree species are kept tree from Transit Pass under rule 4(A) (1) of the said rule,

(i) Casuarina	(ii) Subabool	(iii) Poplar	(iv) Israili Babool
(v) Vilayati Babool	(vi) Manzium	(vii) Babul	(viii) Eucalyptus.

4.1.3 - For transportation of Babool and Eucalyptus species the provision of requirement of Transit pass has been deleted in the concerned rules.

4.1.4 - Govt. of C.G. Department of Revenue vide its letter No. F8-31/Revenue/2003 dt 22.07.2003 and letter No. F8-31/Revenue/2006 dt. 27.02.2006 has issued clarifications regarding the felling and transportation of tree standing on Revenue lands to promote afforestation activities in Non forest areas.

4.1.5 - The State has taken a decision to De-Nationalize Bamboo trade under section 22A of Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhinium 1969. By doing so, the farmers of Sarguja, Jashpur, Raigarh, Korba districts shall not require any permission for felling and disposal of bamboo situated on their fields.

4.1.6 - By amending the C.G. Abhivahan (Vanopaj) Niyam 2001 in the year 2011, the transit rule for carrying out the transportation of Bamboo in 07 Bamboo districts i.e (i) Sarguja (ii) Jashpur (iii) Janjgir-champa (iv) Korba (v) Dhamtari (vi) Kawardha and (vii) Mahasamund is liberalized and power of issuing the transit permit has been delegated to the concern Panchayats.

4.1.7 - The State of Chhattisgarh has constituted a State Bamboo Mission for enhancing the Bamboo production both in forest and non forest areas and to formulate a viable marketing mechanism.

4.1.8 - The State Govt. has laid down major emphasis on overall improvement in the Productivity of bamboo bearing areas of the State Forest. Annually about Sixty thousand hectare of areas are being treated for improvement and rehabilitation of degraded bamboo forests.

Thus, the State Government has already taken so many steps and initiatives to promote afforestation activities in Non Forest Areas, the rest of the initiatives which are to be taken, according to the fresh Guidelines of the Govt. of India issued in 2014, will be taken after examining it in local conditions of Chhattisgarh State.

18/2/15

(Ram Prakash)

Principal Chief Conservator of Forests

Chhattisgarh Raipur